

27/3/18

अतिरिक्त पत्रकारिता सुपरीषद  
प. वि. ग. आदेशिका के अनु. 1  
दिनांक 22/12 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
टोक

राज्य/प्रदेश - राजस्थान  
राज्य लोक अदालत -  
में दिनांक 11/18

निर्देश  
शुभ

राजस्थान लोक अदालत  
राज्य आपकी द्वार-2018

शिविर -  
पत्रकारिता/राज्य/प्रदेश/व्यक्तिगत/अन्य उपा/व्यु.  
पत्रकारिता के अदालत में पेश है पत्रकारिता से सम्बन्धित  
सर्व कार्य सम्पन्न नहीं हुआ।  
उक्त पत्रकारिता दि. 8/18 को न्यायालय में पेश से।  
उपखण्ड अधिकारी, टोक

8/18/18

वरीस नदि उही वरीस नदि री खुल तथा फावली को  
अवरोधन किया तथा, पत्रकारिता 1, 3, 4 कावध में  
उही पत्रकारिता नदी हुई है मतः उक्त री निरुद्ध है तथा  
वरीस नदि री जाती है  
फावली का रीस तलवी प्रति 2 रीस 12/10/18 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
टोक (राज)

12/10/18

13/11/18

पत्रकारिता पेश हुई, पीठारी अधिकारी री  
प्रमाण/सम्बन्धित/सुनावे कार्य/अन्य कार्य री  
पत्रकारिता री) पत्रकारिता गव आदेशिका की पालना में  
आगामी दिनांक 13/12/18 को पेश हो।

फावली पेश हुई वरीस नदि रीस का रीस का रीस का  
सावधानी रीस, रीस वरीस नदि रीस रीस रीस रीस  
नदी नदि तथा उक्त नदी रीस रीस रीस रीस रीस  
सावधानी फावली पत्रकारिता रीस रीस रीस रीस रीस

उपखण्ड अधिकारी  
टोक (राज)